(Public Hearing Minutes)

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जनसुनवाई दिनांक 19.09.2025 का कार्यवृत

मैसर्स रवीन्द्र सिंह जादौन द्वारा मैसनरी स्टोन (लघु खनिज) खनन परियोजना, एम.एल. संख्या 01/2021, प्लॉट न. 01, एरिया 1.50 हैक्टर, (प्रस्तावित) उत्पादन क्षमता – 1,50,000 TPA (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल – 48.83 हैक्टर, निकट ग्राम– छगड़ा, तहसील – वजीरपुर व जिला – सवाई माधोपुर, (राजस्थान) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक लोक सुनवाई **दिनांक 19.09.2025 को प्रातः 11:00 बजे ग्राम पंचायत – श्यारौली के "भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र", श्यारौली, तहसील – वजीरपुर, जिला – सवाई माधोपुर** में श्री रामकिशोर मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रतिनिधी) एवं श्री बलजीत मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर की उपस्थिति में आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान 30 लोग उपस्थित रहे। उपस्थिति पत्र **"परिशिष्ट अ"** पर संलग्न है।

जनसुनवाई हेतु आम सूचना समाचार पत्र सवाई माधोपुर जिलें के गुलाबी हलचल एवं राजस्थान पत्रिका के संस्करण में दिनांक 20.08.2025 में प्रकाशित करवा दी गई थी एवं मुनादी एक दिवस पूर्व दिनांक 18.09.2025 को ग्राम – छगड़ा एवं ग्राम पंचायत – श्यारौली में करवाई गई।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, श्री बलजीत मीणा, द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी एवं उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुऐ बताया कि आज की जनसुनवाई ग्राम– छगड़ा में प्रस्तावित मैसनरी स्टोन (लघु खनिज) खनन परियोजना के दो खनन पट्टे प्लॉट न. 1 एवं प्लॉट न. 7 के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह लोक सुनवाई आयोजित कि जा रही है। जिसमें खनन परियोजना पर्यावरणीय सलाहकार आपको परियोजना के बारे में विस्तार से बताएगें जिसके उपरान्त इस परियोजना से सम्बन्धित आपके सुझाव एवं आपत्तियाँ ली जाऐगी, जो आप केमरें के सामने मौखिक या लिखित दे सकते हैं।

जिसके उपरान्त खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार डॉ. सुनील चौपडा ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुमति से क्रमवार प्लॉट न. 1 एवं प्लॉट न. 7 से सम्बन्धित खनन परियोजना, खनन कार्य से पडने वाले पर्यावरणीय प्रभाव एवं संरक्षण, जल गुणवत्ता, सुरक्षा एवं सामाजिक दायित्व (सी. एस.आर) आदि के बारे में पॉवर पॉईन्ट प्रजेन्टेशन की सहायता से विस्तार से बताया।

इसके उपरांत अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार डॉ. सुनील चौपडा से जानकारी चाही गई की आपके द्वारा पॉवर पॉईन्ट प्रजेन्टेशन के दौरान श्रम कल्याण हेतु अनुदान करने की बात कही गई जो किसके द्वारा किया जाना प्रस्तावित है जिसके प्रतिउत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि श्रम कल्याण हेतु अनुदान खनन परियोजना द्वारा ही किया जायेगा।

इसके उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ग्राम वासियों से अनुरोध किया गया कि पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना सें सम्बन्धित विषय जो चर्चा की गई है उसको आप ध्यान से सुना एवं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

समझा अब दोनो प्रस्तावित खनन पट्टो से सम्बन्धित आपका कोई सुझाव, आपत्ति अथवा कोई जानकारी लेना चाहते है तो आप एक–एक करके माईक पर अपना नाम, गांव का नाम बताते हुए सुझाव एवं आपत्ति दर्ज करा सकते है।

जिसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार से जानकारी चाही गई की आपके द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रबन्धन विषय पर चर्चा करते समय बताया गया कि उक्त खनन परियोजना द्वारा सतही जल एवं भूजल का दौहन नहीं किया जाएगा तो आपके पास पानी के छिड़काव हेतु आवश्यक जल का क्या स्त्रोत रहेगा जिसके प्रतिउत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार बताया गया कि पानी के छिड़काव हेतु आवश्यक जल को बाहरी टेंकरों के माध्यम से मंगाया जाएगा एवं खनन पट्टे के आसपास भूजल को दौहन नहीं किया जाएगा।

इसके उपरांत अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा जानकारी चाही गई कि खनन पट्टे में खनन के दौरान जमा हुऐ जल का उपयोग किया जा सकता है या नहीं जिसके प्रतिउत्तर में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बताया गया है कि खनन कार्य तय गहराई सीमा 25 मीटर तक ही किया जाएगा जिससे कि भूजल स्तर प्रतिच्छेदित नहीं होगा एवं खनन कार्य के दौरान जल भराव की समस्या नहीं रहेगी। इसके उपरान्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा जानकारी चाही गई कि 25 मीटर के गहराई समतल से मापते है या अन्यत्र कहीं ओर से एंव किसी कारण वश खनन क्षेत्र में जल भराव होता है तो उस पानी को उपयोग में ले सकते है या नहीं जिसके प्रतिउत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार बताया गया कि 25 मीटर की गहराई समतल से ही मापी जाती है एवं खनन क्षेत्र में एवं खनन क्षेत्र के आप–पास पानी को किसी भी कार्य हेतु उपयोग में लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

इसके पश्चात् ग्रामवासी श्री सुनील जादौन ग्राम – छकड़ा द्वारा जानकारी चाही गई की उक्त खनन परियोजनाओं से ग्राम वासीयों को क्या फायदा होगा जिसके प्रतिउत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार बताया गया कि खनन परियोजना से स्थानीय रोजगार बढेगा, आवगमन एवं उद्योग का विकास होगा, निर्माण गतिविधियों हेतु आवश्यक मांग कि आपुर्ति सुलभ होगी इत्यादि।

इसके पश्चात् ग्रामवासी श्री सुनील जादौन द्वारा बताया गया की उक्त खनन परियोजना से हमें कोई आपत्ति नही है।

इसके उपरान्त ग्रामवासी एवं पुर्व सरपंच श्री विवेक चौधरी ग्राम – श्यारौली द्वारा बताया गया की इस आमसभा में दोनो खनन पट्टों के बारे में जानकारी दी गई उक्त दोनो खनन पट्टे ग्राम पंचायत श्यारौली के अन्तर्गत आते है। हमारे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उद्योग बढे एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलें हम यही चाहते है अतः हमें इन खनन परियोजनाओं से कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रशासन से अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उद्योग बढ़ानें की कोशिश करें।

इसके पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना से निसंदेह खनन क्षेत्र से उद्योग बढते है, क्षेत्र का विकास होता है लेकिन साथ–साथ प्रदूषण भी होता है उसको रोकने के लिए परियोजना प्रस्तावत यथोचित उपाय करने चाहिए एवं जानकारी चाही गई की कई बार 25 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने से बढे–बढे गड्डे हो जाते है जिससे आमजन एवं जानवरों के साथ हादसा होने का खतरा बना रहता है जिसको रोकने के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्या सुरक्षा मापदंड अपनाए जाऐगें जिसके प्रतिउत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

बताया गया कि खनन कार्य 25 मीटर से अधिक गहराई तक नहीं किया जाऐगा एवं खनन कार्य से बनने वाले गड्डों को बैकफिलिंग द्वारा भरा जाता है।

इसके पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा खनन परियोजना प्रस्तावत को खनन कार्य क्षेत्र का उचित सीमांकन कर खनन क्षेत्र के चारो ओर सुरक्षा की दृष्टि से लोहे के तारों की बाड (Fencing) करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

इसके उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पुनः ग्राम वासीयों से अपनी बात, सुझाव अथवा आपत्ति रखने हेतु अनुरोध किया गया।

इसके पश्चात् ग्रामवासी श्री हरि सिंह, ग्राम – छकड़ा द्वारा बताया गया की उक्त दोनो खनन पट्टों से हमें कोई आपत्ति नही है।

इसके पश्चात् ग्रामवासी श्री सत्येन्द्र सिंह जादौन, ग्राम – छकड़ा द्वारा बताया गया की खनन पट्टों से हमें कोई आपत्ति नही है।

इसके पश्चात् ग्रामवासी श्री रूकम सिंह जादौन, ग्राम – छकड़ा द्वारा बताया गया की उक्त खनन पट्टों से मुझे कोई आपत्ति नही है।

इसके उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ग्रामवासीयों को सम्बोधित करते हुए कहा गया की खनन परियोजना द्वारा सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के अन्तर्गत विभिन्न कार्य जैसे की सामुदायिक शिक्षा सुविधाओं के अन्तर्गत गॉव में स्कुलों में फर्नीचर, ब्लैकबोर्ड, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति शैक्षिक पुस्तकों, स्टेशनरी, सहायक सामग्री आदि का वितरण करना इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य सुधार के अन्तर्गत कुओं एवं पीने योग्य पानी के स्त्रोतों के लिए कीटाणुशोधन उपलब्ध कराना, नेत्र जॉच शिविर, रक्त दान शिविर, स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित करवाना, सामुदायिक कल्याण गतिविधियॉ के अन्तर्गत पूजा स्थानों का विकास, सौन्र्दयकरण, गॉव के आसपास हैंड पंप, बोरवेल की स्थापना एवं मरम्मत, पौधा रोपण, जल संरक्षण हेतु जल संचयन संरचनाओं का निर्माण इत्यादि कार्य करवाने प्रस्तावित है जिनकी आप सबको जानकारी होनी चाहिए अगर परियोजना प्रस्तावक सी.एस.आर के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित कार्य नहीं करवाता है तो आप इसकी जिला प्रशासन से शिकायत भी कर सकतें है।

इसके पश्चात् ग्रामवासी श्री तेज सिंह चौधरी, ग्राम – श्यारौली द्वारा बताया गया की हमारें क्षेत्र के खनन पट्टा धारक भामाशाह प्रवृति के रहें है जैसे कि गावॅ में किसी भी प्रकार का सहयोग, सहायता में हमेशा आगे रहते है पुर्व में भी इनके द्वारा पौधारोपण करवाया गया है। अगर ऐसी खनन परियोजना इस ग्राम पंचायत में आती है तो यहा रोजगार मिलेगा। मेरा इनसे अनुरोध है कि हमारी ग्राम पंचायत में ध्यान दे और इसकों आगे ले जाए।

इसके उपरान्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा बताया गया कि खनन परियोजनाओं से क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार बढ़ता है जैसे कि खनन कार्य से आवागमन बढ़ता है, आस–पास के ट्रेक्टर ट्रोली चालकों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय बाजारों मे आवाजाही बढ़ेगी इत्यादि, हालांकि खनन कार्य से पर्यावरण को नुकसान होगा परन्तु नियमानुसार पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर ही खनन कार्य किया जाना चाहिए।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

इसके पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि खनन कार्य से आस—पास के क्षेत्रे में विकास कार्यो को बढ़ावा मिलेगा एवं खनन परियोजना प्रस्तावक को निर्देश प्रदान किये कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर ही खनन कार्य किया जाए, सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के अन्तर्गत विभिन्न प्रस्तावित कार्यो को प्राथमिकता से किया जाए एवं पर्यावरणीय नियमों की पालना करते हुऐ यथा प्रदूषण नियंत्रण मानको को अपनाकर ही खनन कार्य करने के निर्देश दिए।

इसके पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जनसुनवाई के समापन की घोषणा करते हुए सभी ग्रामवासियों को आश्वश्त किया कि जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक रूप से प्राप्त सुझाव एवं आपत्तिया आगे भिजवाई जा रही है, जिनका समिति द्वारा अध्ययन करके ही उचित निर्णय लिया जावेंगा एवं सभी ग्रामवासियो का धन्यवाद ज्ञापित किया।

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी,
सवाईमाधोपुर

19.09.2025
(रामकिशोर मीणा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों, ग्रामवासी/जनप्रतिनिधियों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स रवीन्द्र सिंह जादौन द्वारा मैसनरी स्टोन (लघु खनिज) खनन परियोजना, एम. एल.संख्या 01/2021, प्लॉट न. 01, एरिया 1.50 हैक्टर, (प्रस्तावित) उत्पादन क्षमता – 1.50.000 TPA (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल – 48.83 हैक्टर, निकट ग्राम– छगड़ा, तहसील – वजीरपुर व जिला – सवाई माधोपुर के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बंध में दिनांक 19.09.2025 को आयोजित जनसुनवाई की बैठक।

जनसुनवाई स्थल :– **ग्राम पंचायत – श्यारौली के "भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र", श्यारौली, तहसील – वजीरपुर, जिला – सवाई माधोपुर**

दिनांक : 19.09.2025

समय : प्रातः 11.00 बजे।

उपस्थिति पत्र

क्र.स.	नाम	पद नाम/कार्यालय/ग्राम	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	R.K Meena	ADM-SWM	9660777538	[signature]
2.	Baljeet Meena	RO, RSPCB, SWM	9461239662	[signature]
3.				
4.	Hukam Singh	Sarpanch	8306536071	[signature]
5.	RAJ KUMAR UMRAR	JEE RSPCB	8209010515	RAJKUMAR
6.	[illegible]	[illegible]	9828937954	[signature]
7.	हरि[illegible]	[illegible]	9001032086	हरिसिंह
8.	[illegible]	[illegible]	9610511254	[signature]

9.	नरेश सिंह	छगाडा	9413293259	नरेश
10.	रघुवीर सिंह	"	9229825215	रघुवीर
11.	राजेन्द्र सिंह	"	8003263236	राजेन्द्र
	सुनील सिंह	"	9828247527	Su
12.	विवेक सिंह	स्यारोली	9950879718	[signature]
13.	हिम्मत सिंह	छगाडा	9680278277	[signature]
14.	राकेश सिंह	छगाडा	9636056322	[signature]
15.	राघव सिंह	छगाडा	7023576170	[signature]
16.	विक्रम सिंह	छगाडा	887518563	[signature]
17.	महेन्द्र सिंह	छगाडा	8852888053	[signature]
18.	सत्यनारायण	स्यारोली	9950590195	[signature]
19.	नेमीचन्द बैरवा	भू. अ. निरीक्षक वृत-सेवा	9783829448	[signature]
20.	बबीता मटावर	पटवारी स्यारोली	9649722575	[signature]
21.	रवीन्द्र सिंह	छगाडा	9549528382	Ranjit
22.	उमेश सिंह राठ	स्यारोली	9784782608	[signature]
23.	Kuldeep Singh	Chhagada	941472765	[signature]
24.	Hukam Singh	छगाडा	8306631671	[signature]
25.	तेजपाल सिंह सोलंकी	स्यारोली	9928423699	[signature]

26.	अनंत कुमार गुप्ता	V.D.O	9079062353	[signature]
27.	गोविन्दकुमार	र-गौली	988777 4382	[signature]
28.	Vinay Singh	पायपुर Consultant	9887280125	[signature]
29.	Rajkumar Yada	Vibrant Tec. Ltd	9918828981	[signature]
30.	Dr. Sunil Chopra	V.T	9928711177	[signature]
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				

दरबार में मंडारा होगा।

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे सवाई माधोपुर (राज.) 322001

फोन नं.: 07462-294921, ई-मेल rorpcb.swm@gmail.com

क्रमांकः रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./स.मा./स.मा.-840/831-834 दिनांकः- 19.8.2025

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स रवीन्द्र सिंह जादौन द्वारा मैसनरी स्टोन (लघु खनिज) खनन परियोजना, एम.एल. संख्या 01/2021, प्लॉट न. 01, एरिया 1.50 हैक्टर, (प्रस्तावित) उत्पादन क्षमता 1,50,000 TPA (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल 48.83 हैक्टर, निकट ग्राम छगड़ा, तहसील वजीरपुर व जिला सवाई माधोपुर के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

(1) कार्यालय जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर।
(2) कार्यालय जिला परिषद, सवाई माधोपुर।
(3) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर।
(4) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(5) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
(6) जिला उद्योग केन्द्र, सवाई माधोपुर।
(7) खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सवाई माधोपुर।

चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर कम से कम 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन-सुनवाई दिनांक 19.09.2025 को ग्राम पंचायत श्यारौली के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, श्यारौली, तहसील वजीरपुर, जिला सवाईमाधोपुर में समय सुबह 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन से जनसुनवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाईमाधोपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से

(बलजीत मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

प्लॉट संख्या 14–15, मीणा कॉलौनी, जेल के पीछे
सवाई माधोपुर (राज.) 322001
फोन नं.: 07462–294921 ई–मेल . rorpcb.swm@gmail.com

क्रमांक: रा.प्र.नि.मं. / क्षे.का. / स.मा. / 840 / 831–834 दिनांकः–19.08.2025

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स रवीन्द्र सिंह जादौन द्वारा मैसनरी स्टोन (लघु खनिज) खनन परियोजना, एम.एल.संख्या 01 / 2021, प्लॉट न.01, एरिया 1.50 हैक्टर, (प्रस्तावित) उत्पादन क्षमता–1.50.000 TPA (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल–48.83 हैक्टर, निकट ग्राम छगडा, तहसील – वजीरपुर व जिला– सवाई माधोपुर के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

उक्त परियोजना से संबधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिर्पोट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों मे उपलब्ध हैः–

(1) कार्यालय जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर।
(2) कार्यालय जिला परिषद, सवाई माधोपुर।
(3) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर।
(4) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(5) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
(6) जिला उद्योग केन्द्र, सवाई माधोपुर।
(7) खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सवाई माधोपुर।

चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत् भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर कम से कम 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन–सुनवाई **दिनांक 19.09.2025 को ग्राम पंचायत – श्यारौली के "भारत निर्माण राजीव –गाँधी सेवा केन्द्र", श्यारौली, तहसील – वजीरपुर, जिला – सवाई माधोपुर में समय सुबह 11:00 बजे** उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध मे लिखित सुझाव / आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन से जनसुनवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर मे भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से
(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

काउन्टर संख्या
03
हेल्प–डेस्क
परियोजना का विवरण
1 परियोजना का विवरण
परियोजना प्रस्तावक मैसर्स रविन्द्र सिंह जादौन ने निकट ग्राम – छकडा, तहसील – वजीरपुर जिला – सवाई माधोपुर (राजस्थान) में मैसनरी (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन का प्रस्ताव रखा है। जिसका एम.एल. संख्या 01/2021, प्लॉट संख्या–01 एवं खसरा नंबर–346 है। एमएल संख्या 01/2021, प्लॉट संख्या–01 का क्षेत्रफल–1.50 हेक्टेयर है, जिसकी प्रस्तावित उत्पादन क्षमता–1,50,000 टीपीए (आरओएम)(सेलेबल – 1,20,000 टीपीए, अपशिष्ट– 30,000 टीपीए) व कुल क्लस्टर उत्पादन 56,34,535 टीपीए (आरओएम) है। कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 48.83 हेक्टेयर (क्लस्टर में कुल 32 खनन परियोजनाएं) है। खनिज का खनन ओपनकास्ट अर्द्धयंत्रीकृत विधि द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।
2 क्षेत्रफल
एम.एल. संख्या – 01/2021, प्लॉट संख्या–01 का क्षेत्रफल 1.50 हैक्टेयर
क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 48.83 हैक्टेयर
3 टोपोशीट संख्या
54 बी/14
4 भूमि के प्रकार
सरकारी भूमि
5 परियोजना की लागत
एम.एल. संख्या – 01/2021, प्लॉट संख्या–01 की परियोजना लागत– रुपये 100.00 लाख
क्लस्टर की परियोजना लागत – रुपये 2955 लाख
10
SONY
AHUJA
SSA-250

भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
पं.स. गंगापुर सिटी, जिला
ग्राम पंचायत श्यारौली
पंचायत मिनि सचिवालय
सरपंच-हुकम सिह जाट-मोबाइल-8306536071
पटवारी (राजस्व वि.)-रुचीगुप्ता-मोबाइल-9530314164
कृषि पर्यवेक्षक (कृषि वि.)-रामविश्वास-मोबाइल-9887774382
अगली बैठक-
हरा भरा राजस्थान
स्वच्छ राजस्थान

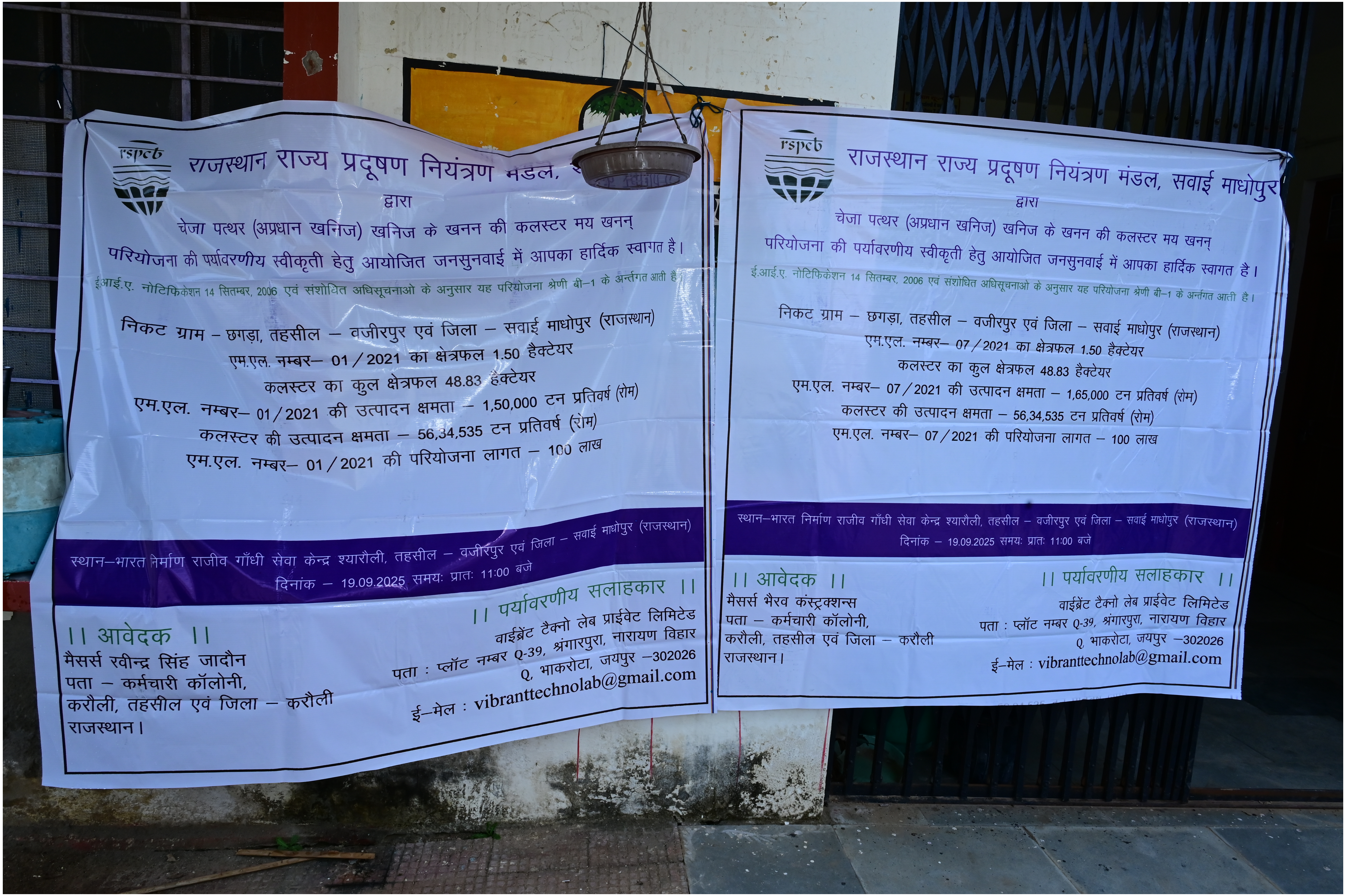
rspcb
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल,
द्वारा
चेजा पत्थर (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन की कलस्टर मय खनन्
परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु आयोजित जनसुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14 सितम्बर, 2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओ के अनुसार यह परियोजना श्रेणी बी–1 के अर्न्तगत आती है
निकट ग्राम – छगड़ा, तहसील – वजीरपुर एवं जिला – सवाई माधोपुर (राजस्थान)
एम.एल. नम्बर– 01/2021 का क्षेत्रफल 1.50 हैक्टेयर
कलस्टर का कुल क्षेत्रफल 48.83 हैक्टेयर
एम.एल. नम्बर– 01/2021 की उत्पादन क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष (रोम)
कलस्टर की उत्पादन क्षमता – 56,34,535 टन प्रतिवर्ष (रोम)
एम.एल. नम्बर– 01/2021 की परियोजना लागत – 100 लाख
स्थान–भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र श्यारौली, तहसील – वजीरपुर एवं जिला – सवाई माधोपुर (राजस्थान)
दिनांक – 19.09.2025 समय: प्रातः 11:00 बजे
।। पर्यावरणीय सलाहकार ।।
वाईब्रेंट टैक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड
पता : प्लॉट नम्बर Q-39, श्रंगारपुरा, नारायण विहार
Q, भाकरोटा, जयपुर –302026
ई–मेल : vibranttechnolab@gmail.com
।। आवेदक ।।
मैसर्स रवीन्द्र सिंह जादौन
पता – कर्मचारी कॉलोनी,
करौली, तहसील एवं जिला – करौली
राजस्थान।
rspcb
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सवाई माधोपुर
द्वारा
चेजा पत्थर (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन की कलस्टर मय खनन्
परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु आयोजित जनसुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14 सितम्बर, 2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओ के अनुसार यह परियोजना श्रेणी बी–1 के अर्न्तगत आती है।
निकट ग्राम – छगड़ा, तहसील – वजीरपुर एवं जिला – सवाई माधोपुर (राजस्थान)
एम.एल. नम्बर– 07/2021 का क्षेत्रफल 1.50 हैक्टेयर
कलस्टर का कुल क्षेत्रफल 48.83 हैक्टेयर
एम.एल. नम्बर– 07/2021 की उत्पादन क्षमता – 1,65,000 टन प्रतिवर्ष (रोम)
कलस्टर की उत्पादन क्षमता – 56,34,535 टन प्रतिवर्ष (रोम)
एम.एल. नम्बर– 07/2021 की परियोजना लागत – 100 लाख
स्थान–भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र श्यारौली, तहसील – वजीरपुर एवं जिला – सवाई माधोपुर (राजस्थान)
दिनांक – 19.09.2025 समय: प्रातः 11:00 बजे
।। आवेदक ।।
मैसर्स भैरव कंस्ट्रक्शन्स
पता – कर्मचारी कॉलोनी,
करौली, तहसील एवं जिला – करौली
राजस्थान।
।। पर्यावरणीय सलाहकार ।।
वाईब्रेंट टैक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड
पता : प्लॉट नम्बर Q-39, श्रंगारपुरा, नारायण विहार
Q, भाकरोटा, जयपुर –302026
ई–मेल : vibranttechnolab@gmail.com

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सवाई माधोपु
द्वारा
चेजा पत्थर (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन की कलस्टर मय खनन
रियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु आयोजित जनसुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
निकट ग्राम – छगड़ा, तहसील – वजीरपुर एवं जिला – सवाई माधोपुर (राजस्थान)
एम.एल. नम्बर– 01/2021 का क्षेत्रफल 1.50 हैक्टेयर
कलस्टर का कुल क्षेत्रफल 48.83 हैक्टेयर
एम.एल. नम्बर– 01/2021 की उत्पादन क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष (रोम)
कलस्टर की उत्पादन क्षमता – 56,34,535 टन प्रतिवर्ष (रोम)
एम.एल. नम्बर– 01/2021 की परियोजना लागत – 100 लाख
स्थान-भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र श्यारौली, तहसील – वजीरपुर एवं जिला – सवाई माधोपुर (राजस्थान)
दिनांक – 19.09.2025 समय: प्रातः 11:00 बजे
|| आवेदक ||
मैसर्स रवीन्द्र सिंह जादौन
पता – कर्मचारी कॉलोनी,
करौली, तहसील एवं जिला – करौली
राजस्थान।
|| पर्यावरणीय सलाहकार ||
वाईब्रेंट टैक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड
पता : प्लॉट नम्बर Q-39, श्रृंगारपुरा, नारायण विहार
Q, भाकरोटा, जयपुर
ई–मेल : vibranttechnolab@gmail.com

म पंचायत श्यारौली
रपंच एवं वार्ड पंचों की सूची
ग्राम पंचायत श्यारौली के नव निर्वाचित सदस्यों की सूची
वर्ष-29 जनवरी-2020
9928423699

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सवाई माधोपुर
द्वारा
चेजा पत्थर (अप्रधान खनिज) खनिज के खनन की कलस्टर मय खनन्
कलस्टर का कुल क्षेत्रफल 48.83 हैक्टेयर
एम.एल. नम्बर– 07/2021 की उत्पादन क्षमता – 1,65,000 टन प्रतिवर्ष (रोम)
कलस्टर की उत्पादन क्षमता – 56,34,535 टन प्रतिवर्ष (रोम)
एम.एल. नम्बर– 07/2021 की परियोजना लागत – 100 लाख
दिनांक – 19.09.2025
।। आवेदक ।।
मैसर्स भैरव कंस्ट्रक्शन्स
पता – कर्मचारी कॉलोनी,
करौली, तहसील एवं जिला – करौली
राजस्थान।
।। पर्यावरणीय सलाहकार ।।
वाईब्रेंट टैक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड
निकास

VIBRANT TECHNO LAB PVT. LTD.
JAIPUR
RO, RSPCB
SAWAI MADHOPUR
ADM
SAWAI MADHOPUR

GPS Map Camera
Sawai
Madhopur,Rajasthan,India
Wazeerpur, Sawai Madhopur, Rajasthan
322219, India
Lat 26.530623, Long 76.899932
09/18/2025 04:38 PM GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera
Maps
RJ34
UA 2295